उपखण्ड अधिकारी
~1 शिव (बाड़मेर)

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 191/2019 — अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

| प्रार्थीगण | बनाम | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| रायर कंवर पत्नी गारिगदान<br>जाति चारण, निवासी रावत का गांव<br>तहसील शिव, जिला बाड़मेर | | 1. तहसीलदार शिव<br>2. शाखा प्रबंधक,<br>आईडीबीआई बैंक शाखा बाड़मेर |

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थीनी :– श्री देवीलाल कुमावत।

## –:: आदेश ::–

दिनांक : 29.05.2024

प्रार्थीनी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की खातेदारी का खेत मौजा रावत का गांव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 186/133 रकबा 37.16 बीघा अर्थात 6.0703 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थीनी द्वारा पूर्व खातेदार करीम वल्द अजीम तेली से क्रय की गई है। उक्त आराजी पूर्व खातेदार करीम पुत्र अजीम को आवंटन हुई थी तथा आवंटन के समय जो नजरी नक्शा दर्शाया गया है, इसी अनुसार कब्जा काश्त था एवं आज भी लगातार चला आ रहा है। वक्त खरीद से ही प्रार्थीनी के उक्त आराजी में टयूबवैल व पक्की तारबंदी की जाकर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वर्तमान मे जब प्रार्थीनी द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी खातेदारी की मौके पर कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में भारी भिन्नता है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना मौका मुआयना किये तरमीम कर दी जाने से उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। अतः प्रार्थीनी द्वारा उक्त विवादित आराजी के खसरा नम्बर 186/133 में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर प्रार्थीनी के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार शिव द्वारा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर विद्यमान कब्जा काश्त अनुसार एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। उक्त विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा एवं मौका स्थिति का मिलान करने पर प्रार्थीनी के मौके पर कब्जा काश्त एवं तारबंदी को मध्यनजर रखते हुए उपस्थित मौतबिरान द्वारा मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरस्त किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीनी द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती को प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। साथ ही मौका रिपोर्ट में मौके पर उपस्थित मौतबिरान् द्वारा तरमीम

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। तहसीलदार शिव द्वारा भी जवाब पेश कर उक्त तरमीम दुरस्ती बाबत् कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रावत का गांव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 186/133 रकबा 37.10 बीघा अर्थात 6.0703 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तदनुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव * जिला-बाड़मेर *

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 29.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)